		में जारी
15.9.20	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। नोटिस की रसीद पेश की आ.का. रहे। इत्तला म.प.व जवाब मय रिपोर्ट पत्रावली 28.9.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
28/9/2020	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित है। नायब तहसीलदार चेचट के पत्रांक 21/राजस्व/2020/910 दिनांक 24-9-2020 से मौका एवं रिकार्ड की वस्तुस्थिति प्राप्त हुयी, शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी जितेन्द्र अनुपस्थित है बार-बार आवाज लगवायी गयी। अतः अप्रार्थी जितेन्द्र के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस 13-10-2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
13/10/20	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। वास्ते आदेश 20.10.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
20.10.20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। प्रकरण का भली भाँति आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में वर्णित कथन, वाँछित अनुतोष, अप्रार्थी नम्बर 2 की मौका रिपोर्ट, प्रकरण	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का अवलोकन कर विचार किया। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर सम्यक मनन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किये कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के रास्ते में निकलने पर बार-बार रोक लगा दी जाती है इस कारण प्रार्थी का रास्ता जो अप्रार्थी के खेत ख० नं० 363 के दक्षिण में से करीब 10 मीटर चौड़ा है, को रास्ता दर्ज करवाया जावे। इस बाबत प्रार्थी राज 0.2.c. दर से राशि चुकाने को तत्पर है। प्रकरण में प्रार्थी ने ग्राम पैचरट की भूमि आराजी नम्बर 59 रकबा 2.73 हे० पर आने जाने हेतु रास्ता प्राप्त करने के लिये एक प्रार्थना पत्र U/S. 251 A. R.T. Act. 1955 प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी की नकल एवं नक्शे की छाया प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर जाने के लिये सड़क से लेकर ख० नं० 59 तक आने जाने का रास्ता कई खसरा नम्बरों से गुजरता है, मगर ख० नं० 363 का खातेदार अप्रार्थी क्र.1 प्रार्थी को उक्त खेत से निकलने से अब रोक रहा है। प्रार्थी के पास इस रास्ते के अलावा भूमि पर आने जाने का	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अप्रार्थी अवैध रूप से मार्ग रोक रहा है, जिस कारण प्रार्थी को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एक खातेदार आसामी के नाते प्रार्थी को अपने खाते के खेत पर आने जाने का अधिकार प्राप्त है, अतः प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता प्रदान किया जावे, आदि। प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी नं० 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। लिहाजा उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी नम्बर 2 पेशकार सरकार नायब तहसीलदार चैनपुर द्वारा पत्रांक / राजस्व / 2020/910 दि. 24.9.2020 से मौका रिपोर्ट मय D.L.C. की प्रति प्रस्तुत की। मौका अनुसार ख० नं. ख० नं० 59 पर जाने का रास्ता ख० नं० 363 की रकबा 0.98 हेक्टर जो जितेन्द्र पुत्र माणकचंद जाति महाजन सा० रादावाड़ी कोरा के खातेदारी में है, से होकर निकल रहा है। रास्ता 10 मीटर चौड़ा एवं 100 मीटर लम्बा है जो 0.10 हेक्टर रकबा का है	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दस्तावेजात के अवलोकन से पाया जाता है, कि ग्राम चैचट की आराजी खसरा नम्बर 59 (रकबा 2.73 है० प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार आसामी दर्ज है। खसरा नम्बर 363 रकबा 0.98 भूमि अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा संलग्न नजरी नक्शे की ताईद मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार चैचट से होती है। गिरदावरी में ख.नं. 363 पड़त दर्ज है। S.H. नम्बर 9 से खसरा नम्बर 363 की दूरी 1 किलोमीटर से कम अवगत कराई गई है, तथा वहाँ की सिंचित भूमि की दर 1135299/- प्रति हेक्टर तथा असिंचित भूमि की दर 905855/- प्रति हेक्टर है। दस्तावेज एवं रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आता है, कि प्रार्थी के पास उक्त भूमि में से आने जाने का अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। खातेदार के पास वैकल्पिक उपलब्ध नहीं है। खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर नया रास्ता कायम करने का या मौजूदा रास्ते को विस्तारित करने के धारा 251 A में प्रावधान है परन्तु रास्ता 30 फिट से ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 A की परिस्थितियों को पूरा किया जाता हुआ प्रतीत होता है। भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते का प्रयोग खातेदार की एक प्रमुख महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विवेचनोपरान्त हम यह पाते हैं, कि	